



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1971/फाल्गुन 6, 1892
 No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1971/PHALGUNA 6, 1892

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February 1971

G.S.R. 297.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1971.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passports Rules, 1967,—
 - (i) in the Schedule III, in Form EA(P)5, for the entry against serial number 3 under the heading 'Personal Particulars' the following entry shall be substituted, namely:—
 "Place of Origin";
 - (ii) in Schedule VI, under the heading "FORM OF CERTIFICATE OF IDENTITY" in page 1 of Certificate of Identity,—
 - (a) for the words "Nationality of Origin" the words "Place of Origin" shall be substituted;
 - (b) after the words "Place of Origin", as so substituted, the words, "Present National Status" shall be inserted.

[No. VI/401/69/70.]

S. KRISHNAMURTI, Secy.

विदेश सञ्चालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1971

जी० एन० आर० 297.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1971 की संज्ञा दी जाएगी।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 :-

(1) अनुसूची-3 में, फार्म ईए (पी) 5 में 'वैयक्तिक विवरण' शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि लिख दी जाए, यथा :

“मूल स्थान”

(2) अनुसूची-6 में, पहचान प्रमाण-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर “पहचान प्रमाण-पत्र का फाम शीर्षक के अधीन, -

(क) “मूल राष्ट्रियता” के स्थान पर “मूल स्थान” लिख दिया जाय;

(ख) इस प्रकार लिखे गए शब्द, “मूल स्थान” के बाद, “वर्तमान राष्ट्रीय स्तर” शब्द लिख दिए जाएं।

[संख्या 6/401/69/70]

एस० कृष्णमूर्ति, सचिव।